

तारीख

हुजूम या कार्यवाही का तलबनाम

आपत्त 9 P 120 P

उ.नं. - 42115


17-9-24

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठारसीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19-9-24 को पेश हो।




19.09.2024

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वास्ते पेश होने जवाब प्रार्थना पत्र व पेश होने सम्मन तलबाना पत्रावली दिनांक 04.10.2024 को पेश हो।

  
( अनिल कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

04.10.2024

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वास्ते पेश होने जवाब प्रार्थना पत्र व पेश होने सम्मन तलबाना पत्रावली दिनांक 18.10.2024 को पेश हो।

  
( अनिल कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

18.10.2024

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी इस न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या 71/2012 उनवानी बसन्ती देवी वगै० बनाम् भूरा वगै. में पारित एकपक्षीय निर्णय व डिकी दिनांक 18.02.2013 के विरुद्ध पेश की गई है। उक्त प्रकरण में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के द्वारा अपील संख्या 35/2017 उनवानी हरफूल वगै० बनाम बसन्ती देवी वगै० में पारित आदेश दिनांक 21.07.2017 के द्वारा अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2013 को खारिज किया जाकर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है। उक्त माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में

-लखवार-

न्यायमय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्राप्त बनाम वस्तु

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

प्राप्त 9R/3CPC

अ.न. - 168/15

प्रकरण में पुनः सुनवाई की कार्यवाही विचाराधीन होकर आगामी पेशी 08.11.2024 नियत है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को इसी स्तर पर औचित्यहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



( अनिल कुमार )

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)